न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 354 / 2013

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर।

– अपीलार्थी–

बनाम

1. सीतादेवी पत्नी रामकिशन
2. भंवरलाल पुत्र रामकिशन
3. हरफूल पुत्र रामकिशन
4. मोहनलाल पुत्र रामकिशन
5. सम्पत देवी पुत्री रामकिशन
6. सुनीता पुत्री रामकिशन

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम भादीपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंन्ट–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री जी.एल.मीणा अपीलार्थी की ओर से।

2– श्री भगवान सहाय शर्मा रेस्पोडेंट्स की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 11–01–2018

1– अपीलार्थी की ओर से उक्त अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11/02/2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 865 रकबा 05 बीघा जिसके साबिक खसरा नम्बर 104 रकबा 05 बीघा जो कि वाके–ग्राम भादीपुरा उर्फ नारायणपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है।भूमि वादीगण के पिता रामकिशन को आवंटित हुई थी,जिसके बाबत् आवंटित अधिकारी द्वारा आवंटन आदेश पारित किये गये थे, जिसका गैर खातेदारी का नामान्तकरण वर्ष 1990 में वादीगण के पिता रामकिशन के नाम खोला गया था नामान्तकरण तहसीलदार चाकसू द्वारा स्वीकार किया गया इस प्रकार रामकिशन के पक्ष में गैर खातेदारी के आदेश हो चुके थे, चुंकि रामकिशन अनपढ व गरीब व्यक्ति था एवं कानून से अनभिज्ञ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

था जिसके कारण गैर खातेदारी आदेश की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण अमल दरामद नहीं हो सका। रामकिशन अधिकतर बीमार रहता था जिस कारण उन्हें राजस्व रिकॉर्डे के बारे में ज्यादा जानकारी नही थी। रामकिशन कृषि भूमि पर काश्त करते चले आ रहे थे, रामकिशन की मृत्यु के पश्चात् वादीगण कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। इस प्रकार वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर कब्जा काश्त है। वादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात् वादीगण ही उनके वारिसान है, वादीगण के पिता को आवंटित भूमि में वादीगण का हक व हिस्सा है। इस प्रकार वादीगण द्वारा अपने पिता की उक्त आवंटित शुदा भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित कराने के लिए दावा प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा सुनवाई पश्चात् वादीगण का वाद डिक्री किया गया जिससे पीडित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3— अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजि0 की गई। रेस्पोडेन्ट/वादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4— अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो के मुख्य बिन्दुओं को दौहराते हुये कथन किया की योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने तथ्यों से विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को नजरअन्दाज करते हुये सरकारी सिवाय चक सरकारी वादग्रस्त कृषि भूमि जो सार्वजनिक उपयोग—उपभोग की भूमि है,जिस पर वादीगण का किसी प्रकार का कोई अधिकार हक नहीं बनता है, ना ही भूमि वादग्रस्त पर वादीगण का कब्जा काश्त है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार चाकसू से जो रिपोर्ट मंगवाई गई थी उसमें स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है कि वादग्रस्त भूमि सरकारी कब्जे राज की जमीन है जो आम जनता के उपयोग उपभोग की भूमि है। तहसीलदार ने अपने रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया है कि वादीगण एवं उनके पूर्वजों द्वारा कभी भी आराजी पर काश्त नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है। विचारण न्यायालय की आर्देशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 21/01/2013 को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समय नहीं दिया गया ना ही वाद में तनकियात कायम की गई। वादीगण एवं प्रतिवादी के साक्ष्य भी नहीं ली गई। इस प्रकार विचारण अधिनस्थ न्यायालय ने वाद में कानूनी प्रक्रिया का पालना नहीं किया तथा आनन—फानन में मात्र 20 दिवस में निर्णय पारित कर दिया गया। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में यह स्पष्ट अंकन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

किया है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता रामकिशन को आवंटित की गई थी, जिसका मालिकाना हक एवं खातेदारी अधिकार आवंटन नियमों के तहत ही मिल सकते है। वादीगण द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही की गई। इसलिए भूमि वादग्रस्त पर वादीगण का अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणा का वाद है जबकि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वजों को आवंटित भूमि है। वादीगण को कोई रिलिफ आवंटन के नियमों के तहत ही मिल सकती है। इस प्रकार विचारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

4– रेस्पोडेन्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि उनके द्वारा प्रस्तुत दावा विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20/01/2013 को प्रशासन गॉव के संग अभियान में प्रस्तुत किया गया था। अपने दस्तावेजी साक्ष्यों में आवंटन आदेश, वारिस प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आवंटी रामकिशन का , नामान्तरकरण संख्या–20 दिनांक 10/05/1990, जमाबन्दी जिम्मन नम्बर–1, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा प्रस्तुत किये है साथ ही कथन किया कि 14 (4) की कार्यवाही नहीं की गई है, प्रस्तुत वाद में निर्णय लोक अदालत की भावना से किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन, बलहीन है। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 1965 पेज 91, 2001 आर.एल.आर. 1963 आर.आर.डी. 62, भी प्रस्तुत किये है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 29/07/2013 को पेश की गई है, अपील के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जो प्रमाणित नहीं है, जो पढे जाने योग्य नहीं है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बताया गया है। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2013 आर.आर.टी. 61, 2010 आर.आर.टी. द्वितीय 801, 2009 आर.आर.टी. (1) 488, 2007 आर.आर.डी. 311, 2008 आर.आर.टी. (1) 1095 भी प्रस्तुत किये गये है। नामान्तरण को रिव्यू कर खारिज किया था, जिसको अधिनस्थ न्यायालय ए.डी.एम द्वारा खारिज कर दिया गया उक्त कार्यवाही पश्चात् यह अपील प्रस्तुत की गई है। इसलिए धारा 5 में दिये गये तथ्य असत्य है। अपील अपीलार्थी मियाद बाहर होने व सारहीन होने से निरस्त योग्य पाई जाती है। अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाई जावे।

5– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया।अधिनस्थ न्यायलाय के समक्ष रेस्पोडेंटस द्वारा वाद बाबत घोषणा प्रस्तुत कर कथन किया गया था कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 865 जिसके साबिक खसरा नम्बर 104 थे, में से रकबा 05 बीघा वादीगण के पिता

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

रामकिशन को आवंटित हुई थी तथा गैर–खातेदारी का नामान्तकरण भी तस्दीक हो चुका था परन्तु राजस्व रिकॉर्ड उक्त नामान्तकरण का अमल दरामद नहीं होने से भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवाय चक चली आ रही है।वादीगण वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है अतः वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जावे। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार चाकसू द्वारा जवाब प्रस्तुत कर वादीगण के कथनों को अस्वीकार नहीं कर यह कथन किया गया कि वाद वादी द्वारा स्वयं साबित किया जावे। इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके व रिकार्ड की पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट जो तहसीलदार चाकसू के द्वारा मूल ही अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है उस रिपोर्ट में वादीगण द्वारा किये गये कथन के बारे में सहमति प्रदान की गई है तथा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि वर्तमान में वादग्रस्त भूमि पर सीता देवी पत्नि रामकिशन,भँवर लाल, हरफूल, मोहनलाल, तथा रामकिशन जाति मीणा जो कि पूर्व आवंटी के वारिसान है,काबिज काश्त है। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि गैर खातेदारी नामान्तकरण का सहवन से राजस्व रिकार्ड में अंकन नही हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय में वादीगण के वाद–पत्र एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। न्यायालय द्वारा निर्णय में उल्लेख किया गया है कि "वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 865 रकबा 6.19 हैक्टेयर किस्म सिवाय चक में से रकबा 1.25 हैक्टेयर भूमि साबिका खसरा नम्बर 104 रकबा 05 बीघा में आवंटित आदेश 31 दिनांक 18–05–1989 को रामकिशन पुत्र सालगा जाति मीणा निवासी–ग्राम भादीपुरा तहसील चाकसू को आवंटन करने पर गैर खातेदारी नामान्तकरण सख्या 20 दिनांक 10–5–1990 को नायब तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर के द्वारा तस्दीक किये जाने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने से सहवन से रह जाने के कारण आवंटित के नाम गैर खातेदारी का नामान्तकरण का अंकन किया जाना न्याय हित में उचित है तथा आवंटित रामकिशन की मृत्यु हो जोन पर उसके वारिसदार कब्जाधारी सीता देवी पत्नि रामकिशन, भँवर लाल, हरफूल, मोहन लाल पिता रामकिशन जाति मीणा निवासी–भादीपुरा के हक में विरासत का नामान्तकरण खोलकर खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है।" अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया उपर्युक्त विवेचन दस्तावेजी साक्ष्यों के एवं तहसीलदार द्वारा दिये गये जवाब दावा के आधार पर किया गया है अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील में वादग्रस्त भूमि को चारागाह होने का कथन किया गया है जबकि वादग्रस्त भूमि पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी के अनुसार साबिका खसरा नम्बर 104 सिवाय चक दर्ज थी तथा वर्तमान

राजस्व अंपील प्रा धिकरण
जयपुर

खसरा नम्बर 865 भी जमाबंदी संवत 2067 से 2070 के अनुसार सीवाय चक लगानी दर्ज है अतः अपीलान्ट का यह कथन अनुचित है। तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि पूर्व में आावंटित रामकिशन एवं तत्पश्चात उसके वारिसान वादग्रस्त भूमि पर आवंटन के समय से काबिज काश्त है तथा राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत भी कार्यवाही की गई है। वादग्रस्त भूमि के आवंटन को खारिज करवाये जाने के संबंध में भी कोई कार्यवाही अपीलान्ट द्वारा नहीं की गई है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील में कोई विधिक बल निहित नही है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11/2/2013 को राजस्व अभियान प्रशासन गॉवों के संग के दौरान पारित किया गया है जिसमें तहसीलदार उपस्थित रहे है। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील दिनांक 29–07–2013 को प्रस्तुत की गई है जो कि विलम्ब से प्रस्तुत की गई है अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 के साथ प्रस्तुत शपथ–पत्र भी प्रमाणित किया हुआ नही हैं। प्रार्थना–पत्र में वर्णित जानकारी का यह कथन कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी नामान्तकरण खुलवाने व राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिये रेस्पोडेन्टस के आने पर हुई विश्वास योग्य नही है।अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने तथा विधिक बल रहित होने के कारण खारिज योग्य पाई जाती है।

6– अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11/02/2013 यथावत रखे जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

7– निर्णय आज दिनांक 11–01–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी,

जयपुर